

डायरेक्ट टैक्स चालान यहाँ स्वीकार किए जाते हैं

“ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश”

- ❖ भुगतान केवल समापन दिनांक के भीतर प्रस्तुत वैध टैक्स चालान के प्रति काउंटर पर स्वीकार किए जाएँगे.
- ❖ चालान पर दिखाई गई सटीक कर राशि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए.
- ❖ टैक्स चालान की 2 प्रतियाँ जमा करें.
- ❖ टैक्स का भुगतान केवल चालान प्रति पर दिखाए गए वैध तरीके के ज़रिए से स्वीकार किया जाएगा.
- ❖ आयकर विभाग के टीआईएन 2.0 पोर्टल से करदाता द्वारा अंतिम कर भुगतान रसीद डाउनलोड की जानी चाहिए.
- ❖ कर भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले चेक और डीडी हस्ताक्षरित होने चाहिए और सभी तकनीकी पहलुओं से वैध होने चाहिए.
- ❖ विदेश में आहरित स्थानीय देय चेक कर भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किए जाएँगे.